भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड) (RAILWAY BOARD)

Office Order No. 13 of 2023

Sub.: Re-distribution of work amongst Executive Directors of Safety Dte.

In supersession of Office Order No. 45 of 2013 issued with regard to work distribution amongst Executive Directors/Directors working in Safety Directorate, it has been decided that henceforth ***revised work distribution amongst the Executive Directors working in the Safety Directorate*** would be as per the list enclosed at **Annexure-I**.

2. The above issues with the approval of the competent authority.

No. 2023/O&M/7/5
Dated: 16.02.2023

(T. Srinivas)
Joint Secretary/Railway Board

All Officers and Branches in Board's Office, COFMOW and at Dayabasti, New Delhi

Copy for information:-

EDPG/MR, EDPG/MOSR(D), EDPG/MOSR(J)

Room No 105, Rail Bhawan, Raisina Road, New Delhi-110001

Annexure-I

Distribution of Work amongst Executive Directors in the Safety Directorate

1. Executive Director (Safety)

Section : Safety (Inquiries)

1. Rules of Accident Inquiries – Commission of Inquiries, CRS Inquiries, Departmental Inquiries, etc.
2. Liaison with the Ministry of Civil Aviation and Commission of Railway Safety regarding train accidents inquired into by the Commission of Railway Safety and other issues related to IR. *(Administrative aspect viz. 'Administrative Convenience of Commission of Railway Safety involving Office Maintenance etc. stands transferred to C(E)-I vide O.O. No. 37 of 2018)*
3. Examination of the Accident Inquiry Reports of the Commissioners of Railway Safety and Judicial Commissions on serious train accidents.
4. Examination of the recommendations made by the Commissioners of Railway Safety and Inquiry Commissions in consultation with various Directorates in Board's office.
5. Monitoring the implementation of the accepted recommendations of CRS/Inquiry Commission on the Railways.
6. Watching progress of finalization of accident inquiries conducted by the Railways, including inquiries entrusted to the Railway Administration by Commissioner of Railway Safety and Departmental inquiries.
7. Examination of Reports of Departmental (Non-CRS) Inquiries conducted by Zonal Railways in Board reported cases and recommendations made therein.
8. Maintenance and updating of data-base of Accidents inquired into by CRS including recommendations, follow-up, responsibilities, DAR, etc.
9. Norms for award of punishments in train accidents.
10. Monitoring of finalization of DAR cases against staff involved in train accidents (including CRS cases).
11. Review of adequacy of punishments in train accidents (including CRS cases).
12. Maintenance of statistics regarding punishment in train accidents (including CRS cases).
13. Annual Report on the working of the Commission of Railway Safety.
14. Compilation of material connected with CRS inquiries for inclusion in the Annual Safety Performance Review.
15. Inter and Intra Railway Safety Audit.
16. All Safety related issues pertaining to Kavach and other such advanced technologies being adopted in the Signalling System.
17. Condonation of infringement of Schedule of Dimensions relating to S&T.
18. Parliamentary business related to above items.
19. RTI cases related to above items.
20. Review of Safety Scenario with Zonal Railways (CR, WR, SCR, Konkan Railway) and their Divisions especially in respect of systemic shortcomings/deficiencies, their identification and remedial measures thereon; and safety related Inspections of at least two installations in different Divisions in a month.
21. Any other work assigned by senior officers.

2. Executive Director (Safety-II)

Section : Safety (Accidents & Rules)

1. Train accidents (consequential and indicative) **excluding** cases of train wrecking, trespassing and run over, persons falling out of running trains, casualties in roof-top travelling, cases of landslides, breaches, OHE breakdowns, public agitations, etc.
2. Monitoring of consequential train accidents.
3. Receipt and circulation of consequential and indicative train accident messages.
4. Compilation & updating of Accident related data and statistics.
5. Analysis of consequential train accident statistics and trends.
6. Maintenance of Monthly Statement 'A' & 'B' showing detailed statistics of train accidents on Indian Railways.
7. Preparation of safety briefs for visits of Ministers, Board, Parliamentary Standing Committee and other similar Committees.
8. Submission of Monthly Review of train accidents to Board.
9. Para on Safety for Monthly Summary for the Cabinet.
10. Compilation of the Annual Safety Performance Booklet of Indian Railways.
11. Chapters on 'Safety' for 'Indian Railways 'Annual Report & Accounts' and Indian Railways 'Year Book'.
12. Establishment matters relating to staff in Safety Control.
13. Parliamentary business related to above items, including Calling Attention Notices, Cut Motions, Suo Moto Statements and Motions on Demands of Grants, etc. relating to Train Accidents and Safety.
14. All matters relating to General Rules and Subsidiary Rules.
15. Matters pertaining to Station Working Rules (SWRs).
16. Recommendations of Commissioners of Railway Safety relating to Rules.
17. References of Zonal Railways relating to Operating Rules.
18. Issues related to replacement of Guard's Boxes.
19. RTI cases related to above items.
20. Review of Safety Scenario with Zonal Railways (NER, ECR, NFR, WCR) and their Divisions especially in respect of systemic shortcomings/deficiencies, their identification and remedial measures thereon; and safety related Inspections of at least two installations in different Divisions in a month.
21. Any other work assigned by senior officers.

3. EDME(Safety)

Section : Safety (Disaster Management)

1. All matters relating to Disaster Management.
2. Co-ordination with other Ministries and Departments, NDMA, NIDM, NDRF, etc. on disaster management.
3. Monitoring and coordination of implementation of NDMA guidelines.
4. Preparation and updating of Disaster Management Plan, Crisis Management Plan, Emergency Support Function Plan, etc. of Ministry of Railways.
5. Monitoring the implementation of recommendations of the High Level Committee on Disaster Management, Disaster Management Review Committee, etc.
6. Disaster Management training – Coordination with IRITM, Lucknow; IRIDM, Bengaluru, etc.
7. Disaster Management/Safety related National Seminars and Conferences.
8. Relief and restoration equipment – ART/ARME/Cranes/SP-TRT/SPART.
9. Examination of proposals received for introduction of Rolling Stock.
10. All Safety related issues pertaining to Wayside Rolling Stock Condition Monitoring System and other such advanced technologies being adopted for Safety of Rolling Stock.
11. Monthly reports from Zonal Railways on Safety, including MCDO, and maintenance of relevant data (excluding accident statistics).
12. Monitoring of Safety Unusuals.
13. Preventive action on train accidents involving fire, including pantry cars.
14. Accident Manual related work.
15. Rajbhasha related work of Safety Directorate.
16. Parliamentary business related to above items.
17. RTI cases related to above items.
18. Asset and equipment failure analysis and action taken thereon (based on E&R Directorate data) and TMS, FMM, CMM, ICMS, etc.
19. Policy on drunkenness
20. Review of Safety Scenario with Zonal Railways (SECR, SWR, SR and all PUs) and their Divisions especially in respect of systemic shortcomings/deficiencies, their identification and remedial measures thereon; and safety related Inspections of at least two installations in different Divisions in a month.
21. Any other work assigned by senior officers.

4. EDEE (Safety)

Section : Safety (Implementation)

1. Monitoring of Implementation of recommendations of High Powered Railway Accident Committees and Railway Safety Review Committee, HLSRC, etc.
2. Inspection Notes of Board Members, other Safety Officers – follow up.
3. Inspections and spot checks on actual practices being followed on Railways in the observance of rules and regulations affecting safe operation of trains.
4. Safety Inspections and Safety Drives.
5. Analysis of SPAD Cases and their follow up including DAR.
6. Issues relating to running staff.
7. Analysis of over 10-hour-duty cases of loco pilots.
8. Accident Free Service Award to select Safety category staff; Zonal Safety and other Awards; Policy to reward persons who help in averting train accidents.
9. Issues regarding training of Safety Category Staff including PME, Refresher, Safety Camps etc.
10. Issues related to Psycho-testing of Safety related staff, coordination with RDSO's Psycho-Technical Cell on Safety related matters, Assessment Centres.
11. Coordination of activities of Safety Organisation on Zonal Railways, including Safety set up and preparation of safety briefs for various meetings, such as Board Meetings, Minister's Meeting with Board, PREM meetings, Consultative Committee of Members of Parliament, General Manager's conference, COM's Conference, CSOs' Conference, etc.
12. Enhancing and strengthening communication with field units regarding safety instructions; Activities relating to enhancement of safety in train operation.
13. Follow up action on corporate documents e.g. 'White Paper on Safety on IR', 'Corporate Safety Plan', etc.
14. Follow-up action on decisions taken in various meetings/conferences/committees and studies on items pertaining to Safety (Imp.).
15. Issues related to provision of Hand Signal Lamp and Tail Lamp etc.
16. Parliamentary business related to above items.
17. RTI cases related to above items.
18. Matters related to EOTT, Loco Pilot Simulators, CVVRS, etc.
19. Review of Safety Scenario with Zonal Railways (ER, SER, ECoR and Metro/Kolkata) and their Divisions especially in respect of systemic shortcomings/deficiencies, their identification and remedial measures thereon; and safety related Inspections of at least two installations in different Divisions in a month.
20. Any other work assigned by senior officers.

5. Executive Director / Safety(Civil)

Section : Safety (Track & Works)

1. Rashtriya Rail Sanranksha Kosh (RRSK) [earlier known as 'Special Railway Safety Fund].
2. Monitoring of Safety Works Progress.
3. Condonation of infringement of Schedule of Dimensions.
4. All Safety related issues pertaining to Broken Rail Protection System, USFD and other such advanced technologies being adopted for Safety of Track.
5. Examination of proposals received for Introduction of Track Machines.
6. Criteria for award of Safety Shield.
7. Data compilation of Accidents for award of Safety Shield.
8. Suggestions/proposals regarding safety in train operation or enhancement of safety by way of innovations in-house and from outsiders.
9. References of PMO, MPs, VIPs and other dignitaries.
10. References of staff Federations and Unions.
11. Nodal section for execution of SIMS work.
12. Web site management and other IT related works of Safety Directorate.
13. Safety related issues of Level Crossings including Public Awareness Campaigns. Closure, Merger, Manning/Interlocking of Level Crossings, replacement of LC gates with ROB/RUB/LHS.
14. Assistance required by Zonal Railways including liaison with E&R.
15. Nominated officer to deal with Appeal in RTI Cases of Safety Directorate.
16. Parliamentary business related to above items.
17. RTI cases related to above items.
18. Review of Safety Scenario with Zonal Railways (NR, NCR, NWR, DFCCIL) and their Divisions especially in respect of systemic shortcomings/deficiencies, their identification and remedial measures thereon; and safety related Inspections of at least two installations in different Divisions in a month.
19. Any other work assigned by senior officers.

******

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड/RAILWAY BOARD)

2023 का कार्यालय आदेश सं. 13

विषय: संरक्षा निदेशालय के कार्यपालक निदेशकों के लिए कार्य का पुनर्वितरण।

संरक्षा निदेशालय में कार्यरत कार्यपालक निदेशकों/निदेशकों के लिए कार्य के वितरण के संबध में जारी 2013 के कार्यालय आदेश सं. 45 के अधिक्रमण में, यह विनिश्चय किया गया है कि अब से ***संरक्षा निदेशालय में कार्यरत कार्यपालक निदेशकों के लिए कार्य का संशोधित वितरण अनुबंध-I*** के रूप में संलग्न सूची के अनुसार होगा।

2. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

(टी. श्रीनिवास)
संयुक्त सचिव/रेलवे बोर्ड

सं. 2023/ओ एंड एम/7/5
दिनांक: 16.02.2023

बोर्ड कार्यालय, कॉफमो और दयाबस्ती, नई दिल्ली के सभी अधिकारी एवं शाखाएँ।

प्रतिलिपि सूचनार्थ:

कार्यपालक निदेशक जन शिकायत/रेल मंत्री, कार्यपालक निदेशक जन शिकायत/रेल राज्य मंत्री (डी), कार्यपालक निदेशक जन शिकायत/रेल राज्य मंत्री (जे)

अनुबंध-I

संरक्षा निदेशालय में कार्यपालक निदेशकों के लिए कार्य का वितरण

1. कार्यपालक निदेशक (संरक्षा)

अनुभाग: संरक्षा (जांच)

1. दुर्घटना जाँचों के नियम - जाँचों का कमीशन, सीआरएस जांच, विभागीय जांच आदि।

2. रेल संरक्षा आयोग द्वारा गाड़ी दुर्घटनाओं की जांच और भारतीय रेल से संबंधित अन्य मामलों के संबंध में नागर विमानन मंत्रालय और रेल संरक्षा आयोग के साथ संपर्क स्थापित करना। (प्रशासनिक पहलु अर्थात कार्यालय के रखरखाव आदि वाले रेल संरक्षा आयोग की प्रशासनिक सुविधा को 2018 के कार्यालय आदेश सं. 37 द्वारा सी(ई)-I में स्थानांतरित किया जाता है)

3. गंभीर गाड़ी दुर्घटनाओं पर रेल संरक्षा और न्यायिक आयोगों के आयुक्तों की दुर्घटना जांच रिपोर्टों की जांच।

4. बोर्ड कार्यालय के विभिन्न निदेशालयों के परामर्श से रेल संरक्षा और जांच आयोगों के आयुक्तों की सिफ़ारिशों की जांच।

5. रेलों पर सीआरएस/जांच आयुक्त की स्वीकृत सिफ़ारिशों के कार्यान्वयन की निगरानी।

6. रेल संरक्षा आयुक्त और विभागीय जाँचों द्वारा रेल प्रशासन को सौंपी गई जाँचों सहित रेलों द्वारा की गई दुर्घटना जाँचों को अंतिम रूप देने की प्रगति की निगरानी।

7. बोर्ड में रिपोर्ट किए गए मामलों तथा इन पर की गई सिफ़ारिशों पर क्षेत्रीय रेलों द्वारा की गई विभागीय (गैर सीआरएस) जाँचों की रिपोर्टों की जांच।

8. सीआरएस द्वारा जांच की गई दुर्घटनाओं के डाटा-बेस जिसमें सिफ़ारिशें, अनुवर्ती कार्रवाई, उत्तरदायित्वों, डीएआर, आदि शामिल है, का रखरखाव और अपडेट करना।

9. गाड़ी दुर्घटनाओं में दंड देने के मानदंड।

10.गाड़ी दुर्घटनाओं में शामिल कर्मचारियों के विरुद्ध डीएआर मामलों को अंतिम रूप देने पर निगरानी (सीआरएस मामलों सहित)।

11.गाड़ी दुर्घटनाओं में दंड की पर्याप्तता की समीक्षा (सीआरएस मामलों सहित)।

12.गाड़ी दुर्घटनाओं में दंड से संबंधित आंकड़ों का रखरखाव (सीआरएस मामलों सहित)।

13.रेल संरक्षा आयुक्त के कार्यों की वार्षिक रिपोर्ट।

14.वार्षिक संरक्षा निष्पादन समीक्षा में शामिल करने के लिए सीआरएस जाँचों से संबंधित सामग्री को समेकित करना।

15.अंतर और अन्तः रेल संरक्षा लेखापरीक्षा।

16.कवच और सिग्नलिंग प्रणाली में अपनाई जा रही ऐसी अन्य विकसित प्रौद्योगिकियों से संबंधित सभी संरक्षा संबद्ध मामले।

17.सिगनल एवं दूरसंचार से संबंधित आयामों की अनुसूची के उल्लंघन की क्षमा।

18.उक्त मदों से संबंधित संसदीय कार्य।

19.उक्त मदों से संबंधित आरटीआई मामले।

20.क्षेत्रीय रेलों (मरे, परे, दमरे, कोंकण रेलवे) और उनके मंडलों में संरक्षा परिदृश्य मुख्यतः व्यवस्थित कमियों/खामियों के साथ संरक्षा परिदृश्य की समीक्षा करना, उनकी पहचान करना और तत्संबंधी निवारक उपाय करना; और विभिन्न मंडलों में एक माह में कम-से-कम दो संस्थापनाओं का संरक्षा संबंधी निरीक्षण करना।

21.वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा सौंपे गए अन्य कार्य।

2. कार्यपालक निदेशक (संरक्षा-II)

खंड : संरक्षा (दुर्घटना एवं नियम)

1. गाड़ी का पटरी से उतरना, अतिक्रमण और रन ओवर, चल गाड़ियों से व्यक्तियों का गिरना, गाड़ी की छत पर बैठ कर यात्रा करते समय क्षति, भूस्खलन के मामलेन, दरार, ओएचई का खरब होना, सार्वजनिक आंदोलन आदि के मामलों के अलावा गाड़ी दुर्घटनाएँ (परिणामी और सांकेतिक)।

2. परिणामी गाड़ी दुर्घटनाओं की निगरानी।

3. परिणामी और परिचायक गाड़ी दुर्घटना सूचनाओं को प्राप्त करना और उसे परिपत्रित करना।

4. दुर्घटना संबंधित डाटा और आंकड़ों को समेकित एवं अपडेट करना।

5. परिणामी गाड़ी दुर्घटना आंकड़ों और प्रचलनों का विश्लेषण।

6. भारतीय रेल में गाड़ी दुर्घटनाओं के विस्तृत आंकड़े दिखने वाले मासिक विवरण 'ए' एवं 'बी' का रखरखाव।

7. मंत्रियों, बोर्ड, संसदीय स्थायी समिति और अन्य समान समितियों के दौरेओन के लिए संरक्षा ब्रीफ़ तैयार करना।

8. बोर्ड को गाड़ी दुर्घटनाओं की मासिक समीक्षा प्रस्तुत करना।

9. मंत्रिमंडल के लिए संरक्षा पर मासिक संक्षिप्त विवरण।

10. भारतीय रेल की वार्षिक संरक्षा प्रदर्शन बूकलेट का संकलन।

11. भारतीय रेल की 'वार्षिक रिपोर्ट एवं लेखा' और भारतीय रेल 'वार्षिक बूक' के लिए संरक्षा पर अध्याय।

12. संरक्षा नियंत्रण में कर्मचारी से संबंधित स्थापना मामले।

13. गाड़ी दुर्घटनाओं और संरक्षण से संबंधित ध्यानकर्षण सूचना, कटौती प्रस्ताव, स्व प्रेरित बयान और अनुदान की मांगों संबंधी प्रस्ताव सहित उक्त मदों से संबंधित संसदीय कार्य।

14. सामान्य नियमों और सहायक नियमों के आयुक्तों की सिफ़ारिशे।

15. स्टेशन कार्य नियमों (एसडब्ल्यूआर) से संबंधित मामले।

16. नियमों से संबंधित रेल संरक्षा आयुक्तों की सिफ़ारिशे।

17. परिचालन नियमों से संबंधित क्षेत्रीय रेलों के संदर्भ।

18. गार्ड बॉक्स को प्रस्थापित करने से संबंधित मामले।

19. उक्त मदों से संबंधित आरटीआई मामले।

20. क्षेत्रीय रेलों (मरे, परे, दमरे, कोंकण रेलवे) और उनके मंडलों में संरक्षा परिदृश्य मुख्यतः व्यवस्थित कमियों/खामियों के साथ संरक्षा परिदृश्य की समीक्षा करना, उनकी पहचान करना और तत्संबंधी निवारक उपाय करना; और विभिन्न मंडलों में एक माह में कम-से-कम दो संस्थापनाओं का संरक्षा संबंधी निरीक्षण करना।

21. वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा सौंपे गए अन्य कार्य।

3. <u>कार्यपालक निदेशक यांत्रिक इंजीनियरी (संरक्षा)</u>

<u>अनुभाग: संरक्षा (आपदा प्रबंधन)</u>

1. आपदा प्रबंधन से संबंधित सभी मामले।

2. आपदा प्रबंधन पर अन्य मंत्रालयों और विभागों, एनडीएमए, एनआईडीएम, एनडीआरएफ आदि के साथ समन्वय।

3. एनडीएमए दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन की निगरानी तथा समन्वय।

4. रेल मंत्रालय की आपदा प्रबंधन योजना, संकट प्रबंधन योजना, आपातकालीन सहायता कार्य योजना आदि की तैयारी तथा अद्यतन।

5. आपदा प्रबंधन, आपदा प्रबंधन समीक्षा समिति आदि पर उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन की निगरानी।

6. आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण-आईआरआईटीएम, लखनऊ, आईआरआईडीएम, बेंगलुरु आदि के साथ समन्वय।

7. आपदा प्रबंधन/संरक्षा से संबंधित राष्ट्रीय संगोष्ठियां तथा सम्मेलन।

8. राहत तथा बहाली उपकरण- एआरटी/एआरएमई/क्रेन/एसपी-टीआरटी/स्पार्ट।

9. चल स्टॉक शुरू करने के लिए प्राप्त प्रस्तावों की जांच।

10. वेसाइड रोलिंग स्टॉक कंडीशन मॉनिटरिंग सिस्टम से संबंधित सभी संरक्षा संबंधी मुद्दे तथा चल स्टॉक की संरक्षा के लिए अपनाई जा रही ऐसी अन्य उन्नत प्रौद्योगिकियां।

11. एमसीडीओ सहित सुरक्षा पर क्षेत्रीय रेलों से मासिक रिपोर्ट, तथा संबद्ध आंकड़ों का रखरखाव (दुर्घटना के आंकड़ों को छोड़कर).

12. संरक्षा असामान्यताओं की निगरानी।

13.पैंट्री कार सहित आग लगने से संबंधित ट्रेन दुर्घटनाओं पर निवारक कार्रवाई।

14.दुर्घटना नियमावली से संबंधित कार्य।

15.संरक्षा निदेशालय का राजभाषा संबंधित कार्य।

16.उक्त मदों से संबंधित संसदीय कार्य।

17.उक्त मदों से संबंधित आरटीआई के मामले।

18.परिसंपत्ति और उपकरण विफलता विश्लेषण तथा उस पर की गई कार्रवाई (ईएंडआर निदेशालय के आंकड़ों के आधार पर) और टीएमएस, एफएमएम, सीएमएम, आईसीएमएस आदि।

19.मद्यपता पर नीति।

20.क्षेत्रीय रेलों (दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, दक्षिण पश्चिम रेलवे, दक्षिण रेलवे एवं सभी उत्पादन इकाइयां) और उनके मंडलों में संरक्षा परिदृश्य मुख्यतः व्यवस्थित कमियों/खामियों के साथ संरक्षा परिदृश्य की समीक्षा करना, उनकी पहचान करना और तत्संबंधी निवारक उपाय करना; और विभिन्न मंडलों में एक माह में कम से कम दो संस्थापनाओं का संरक्षा संबंधी निरीक्षण करना।

21.वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा सौंपा गया कोई अन्य कार्य।

4. **कार्यपालक निदेशक बिजली इंजीनियरी (संरक्षा)**

अनुभाग: संरक्षा (कार्यान्वयन)

1. उच्चाधिकार रेल दुर्घटना समिति और रेलवे संरक्षा समीक्षा समिति, एचएलएसआरसी आदि की सिफ़ारिशों के कार्यान्वयन की निगरानी करना।
2. बोर्ड के सदस्यों, अन्य संरक्षा अधिकारियों के निरीक्षण नोटों पर अनुवर्ती कार्रवाई करना।
3. गाड़ियों के सुरक्षित परिचालन को प्रभावित करने वाले नियमों एवं विनियमों के अनुपालन में रेलों पर अपनाई जा रही वास्तविक पद्धतियों का निरीक्षण और मौके पर जांच करना।
4. संरक्षा निरीक्षण और संरक्षा अभियान चलाना।
5. एसपीएडी मामलों का विश्लेषण करना और डीएआर सहित अनुवर्ती कार्रवाई करना।
6. रनिंग स्टाफ संबंधी मामले।
7. लोको पायलटों की 10 घंटे से अधिक ड्यूटी के मामलों का विश्लेषण।
8. संरक्षा कोटि के कर्मचारियों के चयन हेतु दुर्घटना मुक्त सेवा पुरस्कार, जोनल संरक्षा और अन्य पुरस्कार। रेल दुर्घटनाएं रोकने में सहायक व्यक्तियों को पुरस्कार देने संबंधी नीति।
9. पीएमई, पुनश्चर्या, संरक्षा कैंपों आदि सहित संरक्षा कोटि के कर्मचारियों के प्रशिक्षण से संबंधित मामले।
10. संरक्षा कोटि के कर्मचारियों के मानो-परीक्षण से संबंधित मामले; संरक्षा संबंधी मामलों पर मनो-तकनीकी सेल, मूल्यांकन केंद्रों के साथ समन्वय।
11. क्षेत्रीय रेलों पर संरक्षा संगठन के कार्याकलापों का समन्वय, जिसमें बोर्ड बैठकों, बोर्ड के साथ मंत्री की बैठकों, पीआरईएम बैठकों, संसद सदस्यों की परामर्शदात्री समितियों की बैठकों, महाप्रबंधक सम्मेलन, सीओएम सम्मेलन, सीएसओ सम्मेलन आदि जैसी विभिन्न बैठकों के लिए संरक्षा व्यवस्था और संरक्षा के ब्रीफ तैयार करना शामिल है।
12. गाड़ी परिचालन में संरक्षा बढ़ाने से संबंधित संरक्षा अनुदेशों, कार्यकलापों के बारे में फील्ड इकाइयों के साथ संप्रेषण बढ़ाना और सुदृढ़ करना।
13. कारपोरेट दस्तावेजों जैसे भारतीय रेल में संरक्षा पर श्वेत पत्र, कारपोरेट संरक्षा योजना आदि पर अनुवर्ती कार्रवाई करना।

14. विभिन्न बैठकों/सम्मेलनों/समितियों और अध्ययनों में संरक्षा (कार्यान्वयन) से संबंधित मदों पर लिए गए निर्णयों पर अनुवर्ती कार्रवाई करना।

15. हैंड सिगनल लैम्प और टेल लैम्प आदि की व्यवस्था से संबंधित मामले।

16. उक्त मदों से संबंधित संसदीय कार्य।

17. उक्त मदों से संबंधित आरटीआई मामले।

18. ईओटीटी, लोको पायलट सिमुलेटर, सीवीवीआरएस आदि से संबंधित मामले।

19. क्षेत्रीय रेलों (पूर्व रेलवे, दक्षिण पूर्व रेलवे, पूर्व तट रेलवे और मेट्रो/कोलकाता) और उनके मंडलों में मुख्यतः व्यवस्थित कमियों/खामियों के साथ संरक्षा परिदृश्य की समीक्षा करना, उनकी पहचान करना और तत्संबंधी निवारक उपाय करना तथा विभिन्न मंडलों में महीने में कम-से-कम दो संस्थापनाओं का संरक्षा संबंधी निरीक्षण करना।

20. वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा सौंपे गए अन्य कार्य।

5. <u>कार्यपालक निदेशक, संरक्षा (सिविल)</u>

<u>अनुभाग: संरक्षा (रेलपथ और निर्माण)</u>

1. राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष (आरआरएसके) (पूर्ववर्ती विशेष रेल संरक्षा निधि)
2. संरक्षा कार्यों की प्रगति की निगरानी।
3. आयामों की अनुसूची के उल्लंघन में क्षमा।
4. रेलपथ की संरक्षा के लिए अपनाए जाने वाले ब्रोकन रेल प्रोटेक्शन सिस्टम, यूएसएफडी और अन्य ऐसी उन्नत प्रौद्योगिकियों से संबंधित सभी संरक्षा मामले।
5. रेलपथ मशीनों को शुरू करने हेतु प्राप्त प्रस्तावों की जांच।
6. संरक्षा शील्ड पुरस्कार हेतु मानदंड।
7. संरक्षा शील्ड पुरस्कार हेतु दुर्घटनाओं का डाटा संकलन।
8. गाड़ी परिचालन में या नवोन्मेषी इनहाऊस या बाहर से संरक्षा बढ़ाने के लिए संरक्षा संबंधी सुझाव/प्रस्ताव।
9. पीएमओ, संसद सदस्यों, वीआईपी और अन्य गणमान्यजनों के संदर्भ।
10. कर्मचारी फेडरेशनों और यूनियनों के संदर्भ।
11. एसआईएमएस कार्यों के निष्पादन के लिए नोडल अनुभाग।
12. संरक्षा निदेशालय का वेबसाइट प्रबंधन और अन्य आईटी संबंधी कार्य।
13. जन जागरूकता अभियानों सहित संपरों के संरक्षा संबंधी मामले समपारों को बंद करना, विलय, चौकसी/इंटरलॉकिंग, ऊपरी सड़क पुल/निचले सड़क पुल/एलएचएस के साथ समपार फाटकों का बदलाव।
14. ई एंड आर के साथ संपर्क सहित क्षेत्रीय रेलों द्वारा अपेक्षित सहायता।
15. संरक्षा निदेशालय के आरटीआई मामलों में अपील पर कार्रवाई के लिए नामित अधिकारी।
16. उक्त मदों से संबंधित संसदीय कार्य।
17. उक्त मदों से संबंधित आरटीआई मामले।
18. ईओटीटी, लोको पायलट सिमुलेटर, सीवीवीआरएस आदि से संबंधित मामले।
19. क्षेत्रीय रेलों (उत्तर रेलवे, उत्तर मध्य रेलवे, उत्तर पश्चिम रेलवे और डीएफ़सीसीआईएल) और उनके मंडलों में मुख्यतः व्यवस्थित कमियों/खामियों के संबंध में संरक्षा परिदृश्य की समीक्षा उनकी पहचान करना और तत्संबंधी निवारक उपाय करना तथा विभिन्न मंडलों में महीने में कम-से-कम दो संस्थापनाओं का संरक्षा संबंधी निरीक्षण करना।